राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ 21(266)पूल/मबावि/03/ 101368 जयपुर, दिनांकः 7-6-18

आदेश

भारत सरकार के आदेश संख्या प.9–3/2008–सीडी–III दिनांक 13–07–09 व 17–01–2013 तथा इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 49528 दिनांक 28.03.2017 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आईसीडीएस सामान्य के अन्तर्गत निम्नलिखित उपनिदेशक ,महिला एंव बाल विकास विभाग कार्यालयों के लिए किराये के वाहन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	उपनिदेशक कार्यालय	किराये की वाहन की संख्या
1	उपनिदेशक(चुरू)	एक

1. वाहन किराये पर लेने एवं किराये के भुगतान सम्बन्धी समस्त कार्यवाही वित्त विभाग के परिपत्र एफ. 9(1)एफडी.1(1)बजट/2012 दिनांक 10–02–2012 एवं 01–07–2013,15.7.15 के अनुसार सुनिश्चित करें, साथ ही भारत सरकार के नॉर्मस के अनुसार वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.15 लाख से अधिक किसी भी परिस्थिति में व्यय न हो।

2. वाहनों का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्देशित प्रोग्राम के लिए ही किया जाऐगा तथा विभागीय नकारा वाहनों को नकारा घोषित कर राज. स्टेट मोटर गैराज में जमा कराने के बाद ही वाहन किराए पर लेने की प्रक्रिया शुरु की जायेगी। अतः डीडी/सीडीपीओ का पद रिक्त होने पर किराये का वाहन नहीं लिया जावेंगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 161800625 दिनांक 23–05–2018 के अनुसरण में जारी किये गये है।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक–एफ 21(266)पूल/मबावि/03/ 101369-73 जयपुर, दिनांकः 7-6-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2 वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3 सम्बन्धित उपनिदेशक ,महिला एंव बाल विकास विभाग,,.....।
4 एसीपी(मुख्यालय) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5 रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी पूल
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।